

23

696

भारतीय गैर न्यायिक भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES


पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 419723



ममता
कृष्ण
नायायिक
विलेख

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 14.12.2012 को श्रीमती ममता उपाध्याय तिलक नगर, फिरोजाबाद द्वारा निष्पादित किया गया है।

- 1- ट्रस्ट का नाम - श्रीमती हेमलता श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जन कल्याण ट्रस्ट
- 2- ट्रस्ट के कार्यालय का नाम - तिलकनगर फिरोजाबाद उ0प्र0
- 3- ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र - सम्पूर्ण भारत

शाखा कार्यालय - ट्रस्ट की शाखाएँ देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती हैं।

4- ट्रस्ट मे लगाया गया धन -


ट्रस्ट में लगाया गया धन रु 2000/- (दो हजार रु0 मात्र) नकद धनराशि प्रवीन कुमार उपाध्याय द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गयी है।

भारतीय न्याय अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आधार है, जो सम्पत्ति के स्वामित्व को आबद्ध होता है, जिससे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है। सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा।

Smt. Mamta Vidhyalaya
Principal
Naipai, Firozabad (U.P.)

ममता

MANAGER
SMT MAMTA VIDYALAYA
NAIPAI, FIROZABAD



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

AG 226988

5- द्रस्ट के तत्व -

मुख्य द्रस्टीगण द्वारा द्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है :- द्रस्ट एक प्रकार का आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व में आबद्ध होता है। द्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक द्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है द्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा।

इस प्रकार एक द्रस्ट में आभार द्रस्टी हिताधिकारी द्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर द्रस्ट के निम्न द्रस्टी द्वारा -

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1- श्रीमती ममता पुत्री श्री ज्योती प्रसाद निवासी ग्राम हमीरपुरा पो10-मटसैना, फिरोजाबाद | मुख्यद्रस्टी/अध्यक्ष |
| 2- श्री प्रवीन कुमार उपाध्याय पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद उपाध्याय निवासी तिलक नगर, फिरोजाबाद | द्रस्टी/प्रबंधक |
| 3- श्रीमती हेमलता पुत्री श्री श्याम बाबू शर्मा निवासी ओम कॉलौनी, फिरोजाबाद | द्रस्टी |
| 4- श्री विपिन बाबू शर्मा पुत्र श्री गिरीश चन्द्र शर्मा निवासी विभवनगर, फिरोजाबाद | द्रस्टी |
| 5- श्रीमती सुषमा पल्ली श्री नवीन कुमार उपाध्याय निवासी ओम कॉलौनी, फिरोजाबाद | द्रस्टी |
| 6- श्री भयंक उपाध्याय पुत्र श्री पी०के० उपाध्याय निवासी 447, तिलकनगर, फिरोजाबाद | द्रस्टी |
| 7- श्री प्रतीक उपाध्याय पुत्र श्री प्रवीन कुमार निवासी तिलकनगर, फिरोजाबाद | द्रस्टी |

6- द्रस्ट के उद्देश्य-

- 1- युवक-युवतियों के उच्च तकनीकी एवं रोजगार परख शिक्षा प्रदान कर कुशल बनाना।
- 2- समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।
- 3- मानव कल्याण हेतु जनहित के कार्य करना।
- 4- जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। विद्यालयों/शिक्षा संस्थानों/कॉलेजों/तकनीकी एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति से छात्र-छात्राओं को ज्ञान प्रदान करने के लिए संस्थानों का प्रबंधन एवं सचालन करना।
- 5- समय-समय पर अन्य समाज सेवी जनहितकारी कार्य करना।
- 6- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से अथवा निजी व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों से अनुदान/दान अथवा ऋण प्राप्त करना।
- 7- द्रस्ट के विकास हेतु निर्धन, अनाथ एवं निर्बल वर्ग के नागरिकों, वृद्धजानों, विधवा/अनाथ महिलाओं, निराश्रित अनाथ बच्चों, अपंग लोगों के कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, संगठनों के वित्तीय सहयोग/अनुदान/ऋण से चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित कर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।

Principal
Smt. Mamta Vidhyalaya,
Naipai, Firozabad (U.P.)

Principals

Manager
SMT MAMTA VIDYALAYA
NAIPAI, FIROZABAD



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

AG 226989

7- द्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य -

- 1- द्रस्ट में जनसमान्य द्वारा एवं द्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एवं दान आदि की धनराशि द्रस्ट के द्वारा खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक के खातों में जमा की जायेगी, जो जनहित तथा द्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। उक्त धनराशि के लेन-देन करने (बैंक खाता आपरेटर करने के लिये) मुख्य द्रस्टी/अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही बैंक से धन निकाला जायेगा।
- 2- द्रस्ट के द्वारा जिन संस्थाओं का संचालन किया जायेगा, उन संस्थाओं की समस्त चल-अचल सम्पति पर मुख्य द्रस्टी का पूर्ण स्वामित्व रहेगा।
- 3- यदि किसी कारणवश द्रस्ट द्वारा संचालित कोई भी संस्था समाप्त होती है ऐसी स्थिति में संस्था की चल-अचल सम्पति द्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी।

8- द्रस्टियों की नियुक्ति -

सभी द्रस्टी आजीवन इस द्रस्ट के सदस्य रहेंगे। किसी द्रस्टी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उनके द्वारा नामित अथवा उनका उत्तराधिकारी ही इस द्रस्ट के द्रस्टी होंगे। उत्तराधिकारी में द्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र, पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री द्रस्टी होगी।

9- संचालित संस्थानों की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य-

द्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थानों जो द्रस्ट द्वारा संचालित होंगे प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य द्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

10- द्रस्ट मुख्य -

श्रीमती ममता पुत्री, श्री ज्योती प्रसाद द्रस्ट की मुख्य द्रस्टी/द्रस्ट प्रमुख/अध्यक्ष होंगी। इनकी मृत्योपरान्त इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा इनका उत्तराधिकारी ही अध्यक्ष/प्रमुख द्रस्टी/मुख्य द्रस्टी होंगे। उत्तराधिकारी में मुख्य द्रस्टी का सबसे बड़े पुत्र न होने पर छोटा पुत्र मुख्य द्रस्टी/अध्यक्ष/प्रमुख द्रस्टी होंगे।

11- द्रस्टियों की संख्या -

द्रस्टियों की संख्या मुख्य द्रस्टी व पदाधिकारी सहित 7 होंगे जिसमें वर्तमान में मुख्य द्रस्टी सहित निम्न द्रस्ट होंगे -

- 1- श्रीमती ममता पुत्री श्री ज्योती प्रसाद निवासी ग्राम हनीरपुरा पो-मटसैना, फिरोजाबाद मुख्य द्रस्टी/अध्यक्ष
- 2- श्री प्रवीन कुमार उपाध्याय पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद उपाध्याय निवासी तिलक नगर, फिरोजाबाद द्रस्टी/प्रबन्धक
- 3- श्रीमती हेमलता पुत्री श्री श्याम बाबू शर्मा निवासी ओम कॉलौनी, फिरोजाबाद द्रस्टी
- 4- श्री विपिन बाबू शर्मा पुत्र श्री गिरीश चन्द्र शर्मा निवासी विभवनगर, फिरोजाबाद द्रस्टी
- 5- श्रीमती सुषमा पल्नी श्री नवीन कुमार उपाध्याय निवासी ओम कॉलौनी, फिरोजाबाद द्रस्टी
- 6- श्री मयंक उपाध्याय पुत्र श्री पी०के० उपाध्याय निवासी 447, तिलकनगर, फिरोजाबाद द्रस्टी

*Smt. Mamta Vidhyalaya
Principal*

Smt. Mamta Vidhyalaya
Naipai, Firozabad (U.P.)

27/1/2017

MANAGER
SMT MAMTA VIDYALAYA
NAIPAI, FIROZABAD



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

AG 226990

12— द्रस्ट की बैठक —

द्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन) पूर्व दी जायेगी, किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलाई जा सकती है। बैठक केवल मुख्य द्रस्टी/अध्यक्ष अथवा द्रस्टी/प्रबन्धक स्वयं अथवा इनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही बुला सकता है।

13— गणपूर्ति —

बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 ट्रस्टियों/सदस्य का होना अनिवार्य है।

14— द्रस्टी मण्डल के पदाधिकारीगण एवं उनके अधिकार व कर्तव्य —

द्रस्ट को संचालित व देखभाल करने के लिये एक अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव ही पदाधिकारी होंगे।

(1) अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य —

- 1— द्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष द्रस्ट की प्रत्येक सथा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेंगे।
- 2— मीटिंग बुलाने के लिये प्रबन्धक को निर्देश देना।
- 3— संस्था के समस्त आवश्यक वस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, बैंकों, ड्राफ्टों बंधक विलेखों, विल वाउचर अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही संचालित होंगे। यदि प्रबन्धक द्वारा कोई भी कार्य द्वेष भावना से किया गया है तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- 4— द्रस्ट व द्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में चल व अचल सम्पत्ति का क्रय, विक्रय, दान अनुदान आदि से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रभुत्व द्रस्टी / अध्यक्ष का ही होगा।
- 5— द्रस्ट या द्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के सदस्य मुख्य द्रस्टी के आदेशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता आदि करते हैं। तो मुख्य द्रस्टी तत्काल प्रभाव से उन्हें निलमित या निष्काषण के उपरान्त संस्थाओं की प्रबन्ध समिति में अन्य विद्वानों को मनोनीति कर सकते हैं।

(2) प्रबन्धक / सचिव के अधिकार व कर्तव्य —

प्रबन्धक / सचिव अध्यक्ष की लिखित अनमति से निम्न कार्यों का सम्पादन करेंगे —

- 1— द्रस्टकी ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उनकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना या प्रतिनिधित्व करना।
- 2— द्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उनका प्रचार करना।
- 3— द्रस्ट के हित में दान, चन्दा प्राप्त करना तथा द्रस्ट/संस्था कोष में जमा करना। द्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखभाल करना।
- 4— दान-अनुदान, चन्दा प्राप्त करना व उसकी रसीद देना, द्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय-समय पर निरीक्षण कराना।
- 5— द्रस्ट की ओर सभी प्रकार की अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना व वादों की वैरागी करना।

Principal

Smt. Mamta Vidhyalaya
Naipai, Firozabad (U.P.)

MANAGER

SMT MAMTA VIDYALAYA
NAIPAI, FIROZABAD



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 226991

(5)

15— लेखा परीक्षक —

आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट के मुख्य द्रस्टी किसी भी द्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं, एवं अनावश्यक समझेजाने पर मुख्य द्रस्टी हटा भी सकते हैं लेखा परीक्षक का कार्य द्रस्टी प्रमुख के मार्गदर्शन एवं सहमति से ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय-व्यय का हिसाब-किताब व लेखा-जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून के अनुसार ऑडिट आदि करायेगा। संस्था के आय-व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जाच हेतु मुख्य द्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

16— संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन —

- 1— ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिये प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य द्रस्टी द्वारा किया जायेगा।
- 2— ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना के अनुरूप होंगे।
- 3— ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के संचालन के लिये प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य द्रस्टी करेंगे प्रबन्ध समिति में कुछ सदस्य ही द्रस्टियों में से रहेंगे। तथा शेष सदस्य समाज सेवी व विद्वान व्यक्तियों में से होंगे इन्हें प्रबन्ध समिति में कुछ द्रस्टी मण्डल में से तथा कुछ समाजसेवी और विद्वानों में से मुख्य द्रस्टी ही मनोनीत करेंगे मथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में मुख्य द्रस्टी ही प्रबन्धक/सचिव होंगे। संचालित संस्थान में निम्न पदाधिकारी होंगे।

अध्यक्ष —1 , उपाध्यक्ष —1 , प्रबन्धक/सचिव —1 , लेखा परीक्षक —1 , सदस्य — 3

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक 14.12.2012 को साधारण जनता के हितों व लाभों के लिये किया गया है। ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कॉलेजों का संचालन किया जाना, वृद्धों, निर्बलों असहायों, विकलांगों परिवर्तना, महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगी आदि रोग के निर्वाण हेतु तत्पर्ता दिखाना व चिकित्सालय की स्थापना करना, व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णदार करने, निर्धन कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथासमय निर्धनों को दान आदि देने का कार्य उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।

अतः यह ट्रस्ट ढीड़ मुख्य द्रस्टी द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

*Smt. Mamta Vidhyalaya
Naipai, Firozabad (U.P.)*

*MANAGER
SMT MAMTA VIDYALAYA
NAIPAI, FIROZABAD*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

61AB 478283

(6)

वर्तमान में उक्त द्रष्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है और न
उसका कार्यालय भी द्रष्ट की सम्पत्ति नहीं है।

ममता


Principal

Smt. Mamta Vidyalaya
Naipai, Firozabad (U.P.)


MANAGER
SMT MAMTA VIDYALAYA
NAIPAI, FIROZABAD

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
₹.50

भारत

FIFTY
RUPEES
Rs.50

राष्ट्रमत्र वर्तमा

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 226992

(6) (7)

तहसील तारीख 14.12.2012 मसविदा व टाइपबाई राजेश कुमार जैन दस्तावेज
लेखक तहसील सदर फिरोजाबाद

ममता



Smt. Mamta
Principal

Smt. Mamta Vidhyalaya
Naipai, Firozabad (U.P.)



MANAGER
SMT MAMTA VIDYALAYA
NAIPAI, FIROZABAD

जमाकलाल जैन (दस्तावेज लेखक)
नम. 19 तात्त्विक निम. 31-3-14
तहसील अधीकारी कामांडल
नाम. हृषीकेश लाल जैन
प्राप्ति कामा

12

137272

विनाशक
स्टोर का दिनांक
दिनांक का मूल्य 30 रुपये
बेस्ती का नाम अमृता उपायलाल
इस किता 6 रुपये 750

Sunita
सुनीता आरो जैन

स्टोर विक्रेता नं. 0094/200
गैरिधी नगर फिरोजाबाद

आज दिनांक 14/12/2012 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 2

पृष्ठ सं. 339 से 352 पर कामांक 23

रजिस्ट्रीकृत किया गया।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

S. J. Patel
एस० के० त्रिपाठी

उपनिवंधक द्वितीय

फिरोजाबाद

14/12/2012



Principal
Smt. Mamta Vidyalaya
Naipai, Firozabad (U.P.)

विनाशक
स्टोर
अमृता उपायला
गैरिधी नगर
फिरोजाबाद

Manager
SMT MAMTA VIDYALAYA
NAIPAI, FIROZABAD